

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ1(92)पीएस/निकाशि/13/पार्ट/195

दिनांक 13-01-2023


1. समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
2. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय,
कॉलेज शिक्षा, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर

विषय:- राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम 1986 संशोधन दिनांक 14-10-2022 के तहत आचार्य पद पर पदोन्नति (सीएस योजनान्तर्गत) से संबंधित स्प्रेडशीट (Spreadsheet) में सूचना भरने के क्रम में।

संदर्भ:- आयुक्तालय का समसंख्यक पत्रांक 190 दिनांक 10-01-2023।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आचार्य पद पर पदोन्नति हेतु पूर्व में संकाय सदस्यों द्वारा भरे गये आवेदन पत्रों की सूचना भी "PROFESSOR COLLEGE" नामक GOOGLE SPREADSHEET में भरे जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिस संकाय सदस्य ने जिस महाविद्यालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था, वही महाविद्यालय उसकी सूचना इस स्प्रेडशीट में भरेगा।

आयुक्तालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 209 दिनांक 27-10-2020 एवं पत्र क्रमांक 173 दिनांक 03-01-2023 की अनुपालना में आवेदन प्रस्तुत करने वाले समस्त आवेदकों से उनके आवेदन-पत्र मय संलग्नक की Scanned Copy महाविद्यालय की ई-मेल पर दिनांक 18-01-2023 तक मंगवाया जाना सुनिश्चित करें।


13/01/2023
(डॉ. आर. सी. मीना)

संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान।
3. वेबसाइट प्रभारी- कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. रक्षित पत्रावली।


13/01/2023
(डॉ. आर. सी. मीना)

संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।